tional flag is used only for the dignitaries referred to in para 10.4 of Section 10 of the Flag Code India. These foreign nationals even if they are important in their own country are not covered by the Flag Code.

(10) There are some matters which fall within the purview of the Central Government. Air India have certain responsibilities about letting foreigners board a flight without a visa. Allegations have also been made about the number of pieces of luggages cleared by the customs.

(11) Miscellaneous: The records should be kept upto date at the Trivandrum Immigration Office; the responsibility of Dy. SP (Airport Security) should be clearly defined; Handbook of Executive Orders and Insturctions relating to the foreigners in India issued by the Government of Kerala in 1985 should be made upto-date; overlapping in the items of work allotted to the two sections of the Home Department should be removed and the work allotted may be scrutinized and streamlined.

गुजरात विश्वविद्यालय सेवा अधिकरण विधेयक, 1983

754. **श्री मोर्जा इर्शादबेग** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात विधान सभा ने गुजरात विश्वविद्यालय सेवा अधिकरण विधेयक, 1983 किस तारीख को पारित किया था और उक्त विधेयक की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) राज्यपाल ने इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये कब भेजा था ;

(ग) क्या इस विधेयक पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किस समय तक अनुमति दे दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गुजरात विधान सभा ने 29.3.1984 को विधेयक पारित किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण संलग्न है। (नीचे देखिये)

(ख) 1.5.1984

(ग) जी हां, श्रीमन्। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को पहले ही स्वीकृति दे दी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात सम्बद्ध महाविद्यालय सेवा अधिकरण अधिनियम, 1982 में जांच किए जाने और सम्बद्ध विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा अनुमति दिए जाने के अतिरिक्त सम्बद्ध महाविद्यालय के स्टाफ के सदस्य की उसके पद से बरखास्तगी, पदच्युति अथवा पदावनति निषिद्ध करने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार से निवेदन किया गया कि वह विश्वविद्यालय के कर्मचारी को कोई दण्ड दिए जाने के विरुद्ध बचाव करने और विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य ऐसे कमचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों का फैसला करने के लिए एक मंच बनाने का प्रावधान करे। निवेदन को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक समझा गया है कि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों का निर्णय करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र वैधानिक अधिकरण गठित किया जाए और ऐसे अधिकरण में विश्वविद्यालय के कर्मचारी की बरखास्तगी पदच्युति अथवा पदावनति अथवा विश्वविद्यालय के कर्मचारी की सेवा अन्यथा समाप्त किए जाने के दण्ड के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान किया जाये।

दिल्ली पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का बरामद किया जाना

755. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 फरवरी 1988 के एक हिन्दी दैनिक में प्रकाशित

समाचार के अनुसार दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के प्रमुख ने यह कहा है कि गत वर्ष से लेकर अब तक 20 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ, 23 पासपोर्ट और 652 किलोग्राम चरस बरामद की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अधिकारी ने पिछले कई वर्षों के दौरान नशीले पदार्थ तथा तस्करी का अन्य सामान भी बरामद किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी को 'वीरता पदक" देने तथा ऐसे अन्य अधिकारियों को पदोन्नत करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर 'हां' हो, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि 'ना' हो तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान क्रमवार बरामद किए गए नशीले पदार्थ निम्न प्रकार हैं :

	1986	1987	1988
	कि. ग्राम	कि. ग्राम	कि. ग्राम (15 फरवरी तक)
चरस	424	37	674
अफीम	1	68	2
हीरोइन	22	19	—
स्मेक	2	—	10
गांजा	311	—	—
अफीम के डोडे	—	30	—
मेण्डेक्स की 2960 गोलियां			

अपराध शाखा के कार्मिकों के सामूहिक प्रयासों द्वारा ये बरामदगियां हुई ।

(घ) और (ङ) वीरता पदक देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, नशीले पदार्थों को पकड़ने वाले मुख्य रूप से उत्तरदायी अधिकारियों को उचित पुरस्कार दिया जाता है ।

Study of pollution in major cities and towns

756. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any study has been conducted by the Central Government or any other agency entrusted by the Central Government or independently regarding the air and water pollution in major cities and towns of India; if so, the details thereof; and

(b) what action has been taken by the Central Government to control pollution within safe limits and results thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT